1948 की औद्योगिक नीति (Industrial Policy Resolution, 1948)

प्रस्तावना –

किसी भी राष्ट्र को उचित एवं तीव्र औद्योगिक विकास के लिए सुनिश्चित सुनियोजित एवं प्रेरणादायक औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्व घोषित औद्योगिक नीति के आधार पर ही कोई भी राष्ट्र अपने उद्योगों का आवश्यक मार्ग दर्शन और निर्देशन करता है, भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में प्राकृतिक साधन अपार मात्रा में है, लेकिन उनके समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। पूंजी सीमित मात्रा में है अतः उसका उचित उपयोग करना है। औद्योगिक शक्ति के केन्द्रीकरण को समाप्त कर तथा श्रमिकों को उचित हिस्सा दिलाकर देश में प्रजातांत्रिक समाजवाद की स्थापना करनी होती है इन सभी बातों को देखते हुए देश में एक उचित एवं निश्चित औद्योगिक नीति की आवश्यकता है। देश का सन्तुलित विकास करने के लिए प्रसाधनों को उचित दिशा में प्रवाहित करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, वितरण की व्यवस्था सुधारने के लिए, एकाधिकार संयोजन और अधिकार युक्त हितों को समाप्त करने अथवा नियंत्रित करने के लिए कुछ इने गिने व्यक्तियों के हाथों में धन अथवा आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण को रोकने के लिए, असमानताएँ घटाने के लिए, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए, विदेशों पर निर्भरता समाप्त करने के लिए तथा देश की सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए एक उपयुक्त औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है। इसलिए उद्योगों का संतुलित, सर्वांगीण विकास करने के लिए औद्योगिक नीति की घोषणा करना आवश्यक समझा गया।

06 अप्रैल सन् 1948 को तत्कालीन उद्योग एवं पूर्तिमंत्री डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति में स्पष्ट किया गया कि आगामी कुछ वर्षों में सरकार विद्यमान औद्योगिक इकाइयों का राष्ट्रीयकरण करने के स्थान पर अपने कार्यक्षेत्र में नई उत्पादन इकाइयां स्थापित करेगी और देश में निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र साथ-साथ कार्य करेंगे।

1948 की औद्योगिक नीति की विशेषताएँ –

इस औद्योगिक नीति में उद्योगों को चार (4) वर्गों में विभाजित किया गया है।

Scanned with CamScanner

(1) पूर्णत: सरकारी क्षेत्र — इस वर्ग में केवल सरकार के लिए सुरक्षित उद्योगों को रखा गया। इसमें हथियारों, गोला बारूद का निर्माण, परमाणु शक्ति का उत्पादन और नियंत्रण तथा रेल परिवहन के स्वामित्व और प्रबन्ध सम्बन्धी उद्योग शामिल किए गये।

(2) अधिकांशत: सरकारी क्षेत्र— इस वर्ग में लोहा एवं इस्पात, कोयला, वायुयान निर्माण, पोत निर्माण, टेलीफोन, तार और बेतार यन्त्र निर्माण तथा खनिज तेल उद्योगों को शामिल किया गया। इस वर्ग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया गया कि इसमें नये उद्योगों की स्थापना का अधिकार केवल सरकार को होगा परन्तु पहले से मौजूद उत्पादन इकाइयों को उनके विस्तार की अनुमति दी जायेगी। उनके राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर 10 वर्ष पश्चात विचार किया जायेगा और राष्ट्रीयकरण कसे की स्थिति में उनको मुआवजा दिया जायेगा।

(3) नियंत्रित निजी क्षेत्र — इस वर्ग में 18 महत्वपूर्ण उद्योगों को शामिल किया गया जैसे- सूती एवं ऊनी वस्त्र, जूट, चीनी, सीमेन्ट, नमक, भारी रसायन, उर्वरक, कागज, मशीन, औजार औषधियाँ, रबर, वायु तथा समुद्री यातायात को शामिल किया गया। जिसका सरकार द्वारा आयोजन एवं नियमन आवश्यक समझा गया।

(4) सामान्य क्षेत्र — इस वर्ग में शेष उद्योगों को रखा गया। इस उद्योगों के क्षेत्र में कहा गया कि इनका विकास निजी एवं सहकारी क्षेत्र में होगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर राज्य द्वारा भी ये उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

Other features of the policy :-

(i) विदेशी पूंजी - सरकार ने देश में औद्योगीकरण की गति तीव्र करने तथा उन्नतिशील तकनीकी और प्रबन्ध सम्बन्धि ज्ञान प्राप्त की दृष्टि से विदेशी पूंजी तथा उद्यम की सहायता के महत्व को स्वीकार किया ~~लेकिन~~ लेकिन विदेशी पूंजी के भाग लेने पर भारतीय हितों की दृष्टि से सावधानीपूर्वक नियमन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

(ii) कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास - औद्योगिक उन्नति में कुटीर एवं लघु उद्योगों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया और उनके विकास के लिए सरकार

Scanned with CamScanner

द्वारा सहयोग एवं प्रेरणा देने की घोषणा की गई। यह भी कहा गया कि सरकार इन उद्योगों के बीच सम्बन्ध स्थापित करेगी।

(ii) श्रम प्रबन्ध सम्बन्ध — सरकार ने औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से श्रम और प्रबन्ध के बीच मधुर और सहयोगपूर्ण सम्बन्धों के महत्व को स्वीकार किया गया। अतः श्रमिकों को उनके कार्य के लिए उचित मजदूरी दिलाने, उनके कल्याण के लिए योजनाएँ चलाने और लाभ तथा प्रबन्ध में श्रमिकों को भाग दिलाने के सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया। एवं यह भी कहा गया कि आगामी दस वर्षों में सरकार श्रमिकों की आवास समस्या सुलझाने के लिए दस लाख मकान बनवाएगी।

(iii) प्रशुल्क नीति :— इस नीति में यह कहा गया कि सरकार ऐसी प्रशुल्क नीति अपनाएगी जिससे अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो सके और उपभोक्ताओं पर अनुचित भार डाले बिना स्वदेशी साधनों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिले।

(iv) कर प्रणाली :— सरकार की कर प्रणाली ऐसी होगी, जिससे देश में बचत और विनियोग को प्रोत्साहन मिले। साथ ही कर प्रणाली इस प्रकार होगी जिससे समाज में धन एवं आय के वितरण की विषमता को भी कम किया जा सके।

सन् 1948 की औद्योगिक नीति औद्योगीकरण के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घोषणा थी। यह नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। इस नीति का सबसे अधिक महत्व इस बात में था कि सरकार ने देश के औद्योगिक जगत में चल रहे अनिश्चितता के वातावरण को समाप्त किया और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा एवं देश की सर्वांगीण औद्योगिक विकास का आश्वासन दिया।

Prof Braj Bihari Singh
Dept of Economics
Shershah college,
SASARAM

Scanned with CamScanner